

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

अवधेश नंदन सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी अधीक्षण अभियंता (विद्युत सहित),
भवन निर्माण विभाग, बिहार।

पटना, दिनांक:- 24/8/26.

विषय:- बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाने वाली नियुक्तियों में निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अध्याचना के संबंध में।

प्रसंग:- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-3900 दिनांक-24.02.2026.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सामान्य प्रशासन विभाग के प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि विभागाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों में निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु प्रेषित अध्याचना सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा वापस लौटाते हुए कतिपय अंचलों में रोस्टर निर्माण संबंधी प्रक्रिया में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति के संबंध में विसंगतियों का उल्लेख किया गया था। उक्त मामले में विभागीय पत्रों के माध्यम से संबंधित अंचलों को अध्याचना मूल में लौटाते हुए संशोधित अध्याचना उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।

विदित हो कि सामान्य प्रशासन विभाग के उक्त प्रासंगिक पत्रांक-3900 दिनांक-24.02.2026 द्वारा रोस्टर निर्माण संबंधी प्रक्रिया में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति के संबंध में निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0-4319 दिनांक-02.03.2023 में निहित प्रावधानों को और अधिक स्पष्ट किया गया है। तदनुसार “असैनिक संवर्ग में सीधी भर्ती हेतु अलग से उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए पद सुरक्षित नहीं रख कर उपलब्ध रिक्ति के विरुद्ध रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई कर अध्याचना प्रेषित किया जाना अपेक्षित है, जबकि उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु उपलब्ध मूल कोटि के 10 प्रतिशत के अंतर्गत होने का सूचना मात्र अंकित किया जाना है।”

कृ०पृ०उ०.....

अतः अनुरोध है कि संशोधित रोस्टर निर्माण के क्रम में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-3900 दिनांक-24.02.2026 द्वारा निर्गत निदेश का अनुपालन करते हुए ही संशोधित अध्याचना विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

कृपया इसे उच्च प्राथमिकता दी जाए।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

31/03/26
24.08.26
(अवधेश नंदन सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

रजनीश कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

ई-मेल

सभी अपर मुख्य सचिव,
सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक- 24.02.2025

विषय :- राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति/प्रोन्नति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के संदर्भ में वर्तमान आरक्षण नीति के अनुरूप रोस्टर गठन सहित अन्य बिन्दुओं के मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) के प्रकाशन के संबंध में।

प्रसंग :- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-4400 दिनांक-11.03.2025

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति/प्रोन्नति तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु वर्तमान आरक्षण नीति के अनुरूप रोस्टर गठन से संबंधित अंगीकृत मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) परिचारित किया गया है, जिसमें उत्पन्न संशय के निराकरण हेतु निम्नवत स्पष्टीकरण परिचारित किया जा रहा है-

उल्लेखनीय है कि विभागीय अधिसूचना संख्या-4319 दिनांक-02.03.2023 द्वारा बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली, 2023 के आलोक में यह प्रावधान है कि-

चयनित खेल विधा में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति असेैनिक संवर्ग में सीधी भर्ती हेतु (प्रोन्नति हेतु आरक्षित पदों को छोड़कर) उपलब्ध मूल कोटि के कुल बल के 10 प्रतिशत के अंतर्गत होगी। सिपाही संवर्ग एवं पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग में सीधी नियुक्ति हेतु आगामी प्रत्येक रिक्त पदों में एक प्रतिशत पद खिलाड़ियों के लिए खेल कोटा के रूप में आरक्षित रहेगा। पुलिस उपाधीक्षक के लिये स्वीकृत बल का दस प्रतिशत पद आरक्षित रहेगा।

अतएव उक्त नियमावली में वर्णित प्रावधानों से स्पष्ट है कि उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु (सिपाही संवर्ग, पुलिस अपर निरीक्षक संवर्ग एवं पुलिस उपाधीक्षक संवर्ग को छोड़कर) असेैनिक संवर्ग में सीधी भर्ती हेतु (प्रोन्नति हेतु आरक्षित पदों को छोड़कर) उपलब्ध मूल कोटि के कुल बल के 10 प्रतिशत के अंतर्गत होगी अर्थात् असेैनिक संवर्ग में सीधी भर्ती हेतु अलग से उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए पद सुरक्षित नहीं रख कर उपलब्ध रिक्ति के विरुद्ध रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई कर अध्यायना प्रेषित किया जाना अपेक्षित है, जबकि उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु उपलब्ध मूल कोटि के 10 प्रतिशत के अंतर्गत होने का सूचना मात्र अंकित किया जाना है।

इसी प्रकार उक्त मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) के पृष्ठ-22 के महत्वपूर्ण तथ्य अंतर्गत कंडिका-(xvi) में अधिसूचना संख्या-1468 दिनांक-25.04.2007 {बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2007} के आलोक में रोस्टर क्लियरेंस हेतु दिये गये विवरणी को विस्थापित करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या-15200 दिनांक-14.08.2025 द्वारा बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2025 की कंडिका-5, में निर्धारित वाहन चालक के कुल स्वीकृत बल का 35 प्रतिशत पद वाहन चालक (साधारण कोटि), मूल कोटि स्तर के लिए निर्धारित की जायेगी।

परिपत्र की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।

विश्वासभाजन,

(रजनीश कुमार)

सरकार के अपर सचिव।